।। आदेश ।।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या– 68/USDMA/792(2020) दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में पारित आदेश संख्या–1143/USDMA/792(2020) TC दिनांक 30 मार्च, 2021, आदेश संख्या– 44/USDMA/792(2020) दिनांक 12 अप्रैल, 2021 एवं आदेश संख्या–53/USDMA/792(2020) दिनांक 15 अप्रैल, 2021 व आदेश संख्या–प्रदेश में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार में हो रही निरन्तर वृद्धि की रोकथाम हेतु जनसुरक्षा के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश सख्या–53/USDMA/792(2020) दिनांक 15.04.202 व आदेश संख्या–61/USDMA/792(2020)दिनांक 19 अप्रैल, 2021 व जनपद से जारी आदेश संख्या–6967/आ0प्र0प्रा0/कोविड–19/2020–21 दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जनपद अन्तर्गत पारित किए जाते हैः–

1. समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या–100 से अधिक नहीं होगी।
2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
3. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान–प्राथमिक, जूनियर, हाई–स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटैकनिक, आई0टी0आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
6. शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी व आवश्यक सेवा जिसमें मेडिकल स्टोर, चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, पैट्रोल पम्प एवं गैस आपूर्ति से सम्बन्धित प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं, के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बन्द किये जायेंगे।
7. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। साथ ही निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की जायेगी।
    a. जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु।
    b. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही।
    c. मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार–चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु।
    d. बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गन्तव्य के लिए जाने वाली यात्री।
    e. शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

8. राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटन, श्रद्वालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसके 72 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ वे उत्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते हैं।

9. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्हे उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वंय को होम क्वारंटाइन करेंगे, साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर मॉनिटिरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रका के कोविड–19 के लक्षण महसूस होने पर **कोविड हेल्पलाइन नं0–05944–250250** पर सम्पर्क करेंगें।

10. जनपदों में तैनात विभिन्न के अधिकारियों/कार्मिकों (पुलिस विभाग को छोड़कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जायेगें। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ही अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे।

11–कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण– 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों सह–रूगणता () वाले व्यक्तियों गर्भवती महिलओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यो के लिये ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती हैं।

12–कोविड उपयुक्त व्यवहार– उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटको द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate Behaviour जैसे मास्क पहनना तथा समाजिक दूरी का कड़ाई के पालन करना अनिवार्य होगा।

13–गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये एस0ओ0पी0 दिनांक 22 जनवरी 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश पत्रांक 1115/यू0एस0डी0एम0ए0/792 (2020) दिनांक 26 फरवरी 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेंगें।

उक्त आदेशो के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उपरोक्त आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगें।

संलग्न–यथोपरि।

(रंजना राजगुरू)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर।
(जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर)
E_mail : ddmausn@gmail.com फोन न0– 05944–250250, 250719, 250103 (फै0) 05944–1077 (टोल फ्री)
पत्र संख्या–6975 /आ0प्रा0प्र0/2021 दिनांक 21 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1. मा0 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर,देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

7. मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त उप जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर/काशीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य/कोविड–19, ऊधम सिंह नगर अनुपालनार्थ।
11. समस्त कार्यालाध्यक्ष, जनपद ऊधम सिंह नगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
12. अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, जनपद ऊधम सिंह नगर को अनुपलनार्थ प्रेषित।
13. अध्यक्ष समस्त व्यापार संघ,मैडिकल एसोसियेशन जनपद ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
14. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम/ अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय जनपद ऊधम सिंह नगर को रविवार कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकायो क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यापक सैनिटाईजेशन कराने हेतु।
15. जिला सूचना अधिकारी कोविड–19 को दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर।

Scanned with CamScanner